(7)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3179/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 677/11-12/अपील.

---

राधारानी पत्नी मोतीलाल चौरसिया
निवासी ग्राम बिलौआ
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर
2. हेमा द्विवेदी पुत्री रामप्रकाश द्विवेदी
   निवासी बलवन्त नगर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

---

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)**

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 10.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, वृत्त बिलौआ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका राधारानी पत्नी मोतीलाल चौरसिया द्वारा ग्राम बिलौआ में स्थित खाते की भूमि सर्वे क्र. 3717 के रकबा में 4727.19 घन मीटर काले पत्थर का बिना अनुमति के अवैध उत्खनन किया गया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 17/10-11/अ-67 दर्ज कर आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं प्रकरण में उपलब्ध

तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर दिनांक 09.05.2012 को आदेश पारित कर आवेदिका के विरूद्ध रूपये 29,20,309/-. वसूली के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.06.2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो कि दिनांक 24.06.2014 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 30.06.2012 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10.07.2013 निरस्त किये गये। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 2333/पीबीआर/14 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2018 को पुनर्विलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर इस निगरानी को पुन: नम्बर पर लिया गया।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) रिव्यूकर्ता हेमा द्विवेदी द्वारा अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में मात्र यह आधार लिया है कि रिव्यूकर्ता को इस न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ना तो पक्षकार बनाया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया तथा यह भी बताया है कि विचारण न्यायालय का आदेश जहां तक रिव्यूकर्ता से संबंधित है, अंतिम हो जाने से इस न्यायालय द्वारा रिव्यूकर्ता को अब दोषी नहीं माना जा सकता।

(2) रिव्यूकर्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.06.2014 में अभिलेख के आधार पर अपने आदेश में जो निष्कर्ष दिये हैं, उनका कोई खण्डन न तो रिव्यू प्रार्थना पत्र में दिया है और ना ही इस न्यायालय के समक्ष तर्क के दौरान किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का आदेश दिनांक 24.06.2014 रिव्यूकर्ता हेमा द्विवेदी पर आज भी बन्धनकारी होकर लागू होता है।

(3) आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 247(7) के अनुसार अवैध उत्खनन के सिद्ध का भार राज्य शासनपर था, अभिलेख पर मौखिक या दस्तावेजी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आवेदिका राधारानी द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है। अवैध उत्खनन को सिद्ध

करने का भार राज्य शासन पर था। इस संबंध में 1989 आर.एन. 90 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2014 के पद क्रमांक 2 के उप पद क्रमांक 1 लगायत 4 में जो तथ्य बताये हैं, उनका कोई खण्डन रिव्यूकर्ता हेमा द्विवेदी द्वारा नहीं किया गया है।

(5) रिव्यूकर्ता हेमा द्विवेदी को विवादित भूमि पर पट्टा वर्ष 2003 से 2013 तक गिट्टी उत्खनन हेतु प्रदान किया गया था, पट्टे के आधार पर हेमा द्विवेदी को खनिज विभाग की ओर से रॉयल्टी बुक जारी की गई थी, लीज व कब्जे के आधार पर क्रैसर लगाने के लिए ऋण मंजूर कराया गया था तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना अनुमति के गिट्टी पत्थर उत्खनन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 90 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदिका क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका क्रमांक 2 को लीज पर प्राप्त हुई थी, इसलिए वह आवश्यक पक्षकार थी, किन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रचलित प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृत लीज निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि उसके द्वारा कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है और न ही लीज की शर्तों का उल्लंघन किया गया है किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका क्रमांक 2 प्रथम एवं द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं थी, इसलिए उक्त प्रकरण में पारित आदेश अनावेदिका क्रमांक 2 पर बंधनकारी नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि उसके पक्ष में स्वीकृत लीज निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर इसी भूमि में से रकबा 2.000 हेक्टैयर अनावेदिका क्रमांक 2 हेमा द्विवेदी को दिनांक 3-5-2003 से 2-5-2013 तक की अवधि के लिए लीज पर दी गई है । राजस्व निरीक्षक एवं खनिज

निरीक्षक द्वारा दिनांक 28-12-10 को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में किये गये जांच में आवेदिका द्वारा अवैध उत्खन्न किया जाना प्रमाणित पाया गया है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में विधिसंगत निष्कर्ष निकालते हुए आवेदिका पर शास्ति अधिरोपित करते हुए अनावेदिका क्रमांक 2 हेमा द्विवेदी द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण लीज समाप्त किये जाने की कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति कलेक्टर को भेजी गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित कर निरस्त की गई हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं । दर्शित परिस्थिति में आवेदिका एवं अनावेदिका क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त अभिलेख में नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 9-12-11 संलग्न है, जिस पर संबंधितों के विरूद्ध कोई कार्यवाही होना नहीं पाया जाता है । अतः कलेक्टर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह नायब तहसीलदार के उक्त रिपोर्ट पर भी नियमानुसार कार्यवाही करे ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2013 स्थिर रखा जता है । निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 9-12-11 के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर